उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग-9

संख्या-4729(ए)/छः-पु0-9-22-2(2)/13टीसी

लखनऊ दिनांक 18, नवम्बर, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश विधि विज्ञान प्रयोगशाला, तकनीकी अधिकारी सेवा नियमावली, 2016 (द्वितीय संशोधन), 2022 प्रख्यापित की जा चुकी है, जिसकी प्रति संलग्न कर निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है:-

(1) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(2) अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(3) अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।

(4) निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

(5) समस्त संयुक्त निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश।

(7) कार्मिक नियमावली सेल/वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-12/वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1

(8) प्रभारी मीडिया सेल, लोक भवन, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(9) प्रभारी, गृह नियन्त्रण कक्ष को आनलाईन निर्गमन हेतु तथा गृह विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(10) गार्ड फाईल।

संलग्नक: यथोक्त।

(राजेश कुमार राय)

विशेष सचिव।

संख्या-4739(ए)(1)/छः-पु0-9-2022तद्दिनांकः

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को संलग्न अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड-"ख" में प्रकाशनार्थ प्रेषित। कृपया अधिसूचना की मुद्रित गजट की 200 प्रतियां शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(सभापति बिन्द)

अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग–9
संख्या–4739/छः–पु0–9–22–2(2)/2013टीसी
लखनऊः दिनांकः 18, नवम्बर, 2022

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश विधि विज्ञान प्रयोगशाला तकनीकी अधिकारी सेवा नियमावली, 2016 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैः–

उत्तर प्रदेश विधि विज्ञान प्रयोगशाला तकनीकी अधिकारी सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2022

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश विधि विज्ञान प्रयोगशाला तकनीकी अधिकारी सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2022 कही जाएगी। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।	
नियम–5 का संशोधन	2.	उत्तर प्रदेश विधि विज्ञान प्रयोगशाला तकनीकी अधिकारी सेवा नियमावली, 2016, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में, दिये गये विद्यमान नियम–5 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्;	
		स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
		विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
भर्ती का स्रोत	3.	5 सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जाएगीः– (1) निदेशक–निदेशक पद पर भर्ती, नियम 8(1) में विहित अर्हताओं को धारित करने वाले उपयुक्त अभ्यर्थियों में से छानबीन समिति द्वारा यथा विहित निबंधनों एवं शर्तों पर छानबीन समिति द्वारा, सेवा स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति के माध्यम से की जायेगी। छानबीन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगेः– (1) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन – अध्यक्ष (2) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन – सदस्य (3) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कार्मिक, उत्तर प्रदेश शासन – सदस्य (4) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश – सदस्य (5) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट एक विषय विशेषज्ञ – सदस्य	भाग तीन– भर्ती 5 सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जाएगीः– (1) निदेशक– निदेशक पद पर भर्ती, नियम 8(1) में विहित अर्हताएँ धारित करने वाले उपयुक्त अभ्यर्थियों में से छानबीन समिति द्वारा, प्रतिनियुक्ति, जो सेवा स्थानान्तरण या बॉडी शॉपिंग के माध्यम से हो सकता है, इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों में यथाविहित निबंधन और शर्तों पर की जायेगी। छानबीन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगेः– (1) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन – अध्यक्ष (2) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन – सदस्य (3) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कार्मिक, उत्तर प्रदेश शासन – सदस्य (4) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश – सदस्य (5) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक विषय विशेषज्ञ – सदस्य
नियम–8 का संशोधन	4.	उक्त नियमावली में, भाग चार–अर्हताएं शीर्षक में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–8 के 8(1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्;	
		स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
		विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
शैक्षिक अर्हता		8–सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती अथवा सेवा स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति हेतु अभ्यर्थी के लिए निम्नलिखित अर्हताएं धारित करना आवश्यक हैः– (1) निदेशक– आवश्यक – (क) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अधीन विधि विज्ञान प्रयोगशाला अथवा	भाग चार–अर्हताएं– 8– सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए सेवा स्थानान्तरण या बॉडी शॉपिंग के माध्यम से प्रतिनियुक्ति हेतु किसी अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक है :– (1) निदेशक आवश्यक– (क) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अधीन किसी विधि विज्ञान प्रयोगशाला अथवा वैज्ञानिक

		प्रयोगशाला अथवा वैज्ञानिक संस्थान अथवा विश्वविद्यालय में कार्य करने का न्यूनतम 20 वर्षों का अनुभव, जिसमें से वेतन स्तर–12 पर पाँच वर्ष या उससे अधिक स्तर के वेतन में कार्य करने का अनुभव हो। एवं (ख) भौतिक विज्ञान/रसायन विज्ञान/ वनस्पति विज्ञान/जन्तु विज्ञान/जैव-रसायन/जैव प्रौद्योगिकी/ सूक्ष्म जीव विज्ञान/विधि विज्ञान/कम्प्यूटर विज्ञान/ सूचना प्रौद्योगिकी/डिजिटल फॉरेन्सिक में से किसी विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट (पी0एच0डी0)।	संस्था अथवा विश्वविद्यालय में कार्य करने का न्यूनतम 18 वर्ष का अनुभव, जिसमें से वेतन मैट्रिक्स लेवल–12 में कम से कम 03 वर्ष का अनुभव अथवा वेतन मैट्रिक्स लेवल–12 और मैट्रिक्स लेवल –11 में कम से कम कुल 10 वर्ष का अनुभव एवं (ख) भौतिक विज्ञान/रसायन विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/जन्तु विज्ञान/जैव-रसायन/जैव प्रौद्योगिकी/सूक्ष्म जीव विज्ञान/विधि विज्ञान/कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी/डिजिटल फॉरेन्सिक/गणित के किसी विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट (पी0एच0डी0)। अथवा (क) किसी स्वतंत्र फोरेन्सिक मेडिसिन/टॉक्सीकोलॉजी विभाग वाले किसी मान्यता प्राप्त राजकीय मेडिकल कालेज अथवा चिकित्सा विश्वविद्यालय अथवा चिकित्सा संस्थान के किसी फोरेंसिक मेडिसिन/टॉक्सीकोलॉजी विभाग में न्यूनतम 18 वर्ष तक कार्य/अध्यापन करने का अनुभव, जिसमें से वेतन मैट्रिक्स लेवल–12 में कार्य/अध्यापन करने का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव अथवा वेतन मैट्रिक्स लेवल–11 और लेवल–12 में अध्यापन/कार्य करने का कम से कम कुल 10 वर्ष का अनुभव एवं (ख) फोरेन्सिक मेडिसिन/ टॉक्सीकोलाजी में एम.डी.।
नियम–10 का प्रतिस्थापन	5.	उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–10 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्;	
		स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
आयु		10 सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती/सेवा स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह उस कलेण्डर वर्ष, जिसमें रिक्तियाँ विज्ञापित की जाय, पहली जुलाई को नीचे प्रदत्त तालिका में विनिर्दिष्ट न्यूनतम आयु प्राप्त कर ली हो और अधिकतम आयु से अधिक आयु प्राप्त न की हो:– पद का नाम — न्यूनतम आयु — अधिकतम आयु (1) निदेशक — 50 वर्ष — 57 वर्ष (2) वैज्ञानिक अधिकारी — 21 वर्ष — 40 वर्ष परन्तु, यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और ऐसे अन्य श्रेणियों जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाय, की दशा में उच्चतम आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विर्निदिष्ट की जाय।	10– सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि किसी अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें रिक्तियाँ विज्ञापित की जाय, पहली जुलाई को नीचे दिये गये तालिका में विनिर्दिष्ट न्यूनतम आयु प्राप्त कर ली हो और अधिकतम से अधिक आयु प्राप्त न की हो:– पद का नाम — न्यूनतम आयु — अधिकतम आयु (1) निदेशक — 45 वर्ष — 57 वर्ष (2) वैज्ञानिक अधिकारी — 21 वर्ष — 40 वर्ष परन्तु, यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और ऐसे अन्य श्रेणियों जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाय, की दशा में उच्चतम आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विर्निदिष्ट की जाय।

(संजय प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no-4739/Chh-P-9-22-2(2)/2013TC, Dated. 18, November, 2022.

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

HOME (POLICE) SECTION-9

NOTIFICATION

Miscellaneous

No-4739/Chh-P-9-22-2(2)/2013TC

Dated Lucknow, 18, November, 2022

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Forensic Science Laboratories Technical Officers Service Rules, 2016:

THE UTTAR PRADESH FORENSIC SCIENCE LABORATORIES TECHNICAL OFFICERS SERVICE (SECOND AMENDMENT) RULES, 2022.

Short Title and Commencement	1.	(1) These rules may be called the The Uttar Pradesh Forensic Science Laboratories Technical Officers Service (Second Amendment) Rules, 2022. (2) They shall come into force at once.	
Amendment of Rule-5	2.	In the Uttar Pradesh Forensic Science Laboratories Technical Officers Service Rules, 2016, hereinafter referred as the said rules, for existing rule 5 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:	
		Column-1 Existing Rule	Column-2 Rule as here by substituted
Source of Recruitment	3.	5: Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources: (1) Director- Recruitment to the post of Director shall be made by the Search Committee from amongst suitable candidates possessing the qualifications prescribed in Rule 8(1) By Transfer of service/Deputation, on such terms and conditions as may be prescribed by The Search Committee. Search Committee will consist of the following members: (1) Chief Secretary, Govt. of Uttar Pradesh - Chairman (2) Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Home, Govt of Uttar Pradesh - Member (3) Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Karmik, Govt of Uttar Pradesh - Member (4) Director General of Police, Uttar Pradesh - Member (5)A Subject Expert nominated by the Chairman - Member	5: Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources: (1) Director- Recruitment to the post of Director shall be made **through** the Search Committee from amongst suitable candidates possessing the qualifications prescribed in Rule 8(1) by Deputation which **may be through service transfer or through body shopping** on such terms and conditions as prescribed **in the Government Orders issued from time to time in this regard.** Search Committee shall consist of the following members: (1) Chief Secretary, Govt. of Uttar Pradesh - Chairman (2) Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Home, Govt of Uttar Pradesh - Member (3) Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Karmik, Govt of Uttar Pradesh - Member (4) Director General of Police, Uttar Pradesh - Member (5)A Subject Expert nominated by the State Government - Member
Amendment of Rule-8	4.	In the said rules, in place of 8(1) of the existing rule-8 set out in column-1 below in the heading Part Four-Qualifications, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:	
		Column-1 Existing Rule	Column-2 Rule as here by substituted
Academic Qualification		8. A candidate for direct recruitment or by transfer of service/deputation to the various posts in service must possess the following qualifications as: (1) Director- *Essential –* (A) A minimum of 20 years of work experience in	8. A candidate for direct recruitment or by deputation **through service transfer or body shopping** to the various posts in service must possess the following qualifications as: (1) Director- *Essential –* (A) A minimum of 18 years of work experience in a

		a Forensic Science Laboratory or Laboratory or Scientific Institution or University under the Central Government/ State Government/Union Territory, of which at least 5 years work experience, should be at the pay scale Level-12 or above. AND (B) Doctorate (Ph.D.) in any subject of Physics/ Chemistry/Botany/Zoology/ Biochemistry/ Biotechnology/ Microbiology/ Forensic Science/ Computer Science/ Information technology/Digital Forensic from a recognized university.	Forensic Science Laboratory or Scientific Institution or University under the Central Government/ State Government/Union Territory, out of which at least **three years experience** in the pay **matrix** level-12 or **at least** 10 years experience in aggregate in the pay **matrix** level-12 and level-11. AND (B) Doctorate (Ph.D.) in any subject of Physics/ Chemistry/Botany/Zoology/ Biochemistry / Biotechnology / Microbiology/ Forensic Science / Computer Science / Information technology / Digital Forensic/Mathematics from a recognized university. Or (a) A minimum of 18 years of working /teaching experience in a Forensic medicine/toxicology Department of a recognized Government Medical College or Medical University or Medical Institute having an independent forensic medicine / toxicology department, out of which minimum 03 years working/teaching experience in Pay **Matrix in Level-12 or at least 10 years teaching/working experience in aggregate in pay matrix in level 11 and level 12.** And (b) M.D. in forensic medicine / toxicology.
Substitution of rule-10	5	In the said rules, for existing rule 10 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:	
		Column-1 Existing Rule	Column-1 Rule as hereby substituted
Age		10. A candidate for direct recruitment/transfer of service/ /deputation to the various categories of posts in service must have attained the minimum age and must not have attained the age more than the maximum age specified in the table given below on the first day of July of the calendar year in which vacancies are advertised: Name of the Post — Minimum Age — Maximum Age 1. Director — 50 years — 57 years 2. Scientific Officer — 21 years — 40 years	10. A candidate for recruitment to the various categories of posts in service must have attained the minimum age and must not have attained the age more than the maximum age specified in the table given below on the first day of July of the calendar year in which vacancies are advertised: Name of the Post — Minimum Age — Maximum Age 1. Director — 45 years — 57 years 2. Scientific Officer — 21 years — 40 years
		Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.	Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

By Order,

(Sanjay Prasad)
Principal Secretary.